संख्या:6/2026/182बी0पी0/35-1-2026/35-1099/90/2023 (Part-1)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक:18 फरवरी, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कृषि विभाग की परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 170/2024/33बी0पी0/35-1-2024/35-1099/90/2023 (Part-1) दिनांक 11 नवम्बर, 2024 द्वारा **रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जैविक/प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना** परियोजना से संबंधित कार्य की रू. 1272.10 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1272.10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। निदेशक, कृषि विभाग के पत्र संख्या–भू0सं0अभि0/327/बुन्देलखण्ड पैकेज/2025-26 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 द्वारा अवमुक्त की गयी पूर्ण धनराशि का उपयोग किया जाना इंगित करते हुये परियोजना में उपकरणों की लागत बढ़ जाने के कारण परियोजना की आवश्यकता के दृष्टिगत रू. 270.00 लाख की अतिरिक्त मांग की गई है। एतदद्वारा उक्त परियोजना की लागत को रू. 1542.10 लाख पर पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष रू. 270.00 लाख (रूपये दो करोड सत्तर लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2024 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. प्रशा0 विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रशा0 विभाग द्वारा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
4. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. प्रशा0 विभाग द्वारा पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।
7. पैकेज की अवधि के दृष्टिगत अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विभाग का होगा। तदनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
10. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांकः 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 2,70,00,000/- (रूपये दो करोड सत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4575028000402 रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जैविक/प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना -42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-194-X-2025-26 दिनांक 17-2-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः 6/2026/182बी0पी0(1)/35-1-2026/35-1099/90/2023(Part-1) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/ सचिव, कृषि/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी।
7. रजिस्ट्रार, रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी।
8. जिलाधिकारी, झांसी।
9. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।